निर्णय दिनांकः— 6.9.21

वादी की ओर से मनोज अरोड़ा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री आत्माराम गुंडेसर अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 6.9.21 को डॉ. अवि गर्ग आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष पत्रावली पेश होने पर घोषणा की जाती है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक न. 4 एस एन एम पटवार हल्का श्रीनगर खाता सं. 14/13 के पं.न. 107/274(3) किला न. 25 पं.न. 108/274(4)किला न. 21,22,23 पं.न. 108/274(5)किला न.1,2, 3/1(.240),8/1(.240), 9,10,11/1(.252), 12,13/1(.241),21,22 पं.न. 107/275(6) किला न. 5,6,15/1(.045) कुल तादादी 4.307 हैक्टर नहरी मे वादी जसविन्द्रसिंह का 1/2 हिस्सा यानि कि 2.154 हैक्टर व प्रतिवादी 2सजेन्द्र सिंह का 1/2 हिस्सा यानि कि 2.153 हैक्टर भुमि के खातेदार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाता है। डिकी जारी हो और खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे। इसके अलावा इस भुमि बाबत भविष्य में कोई बकाया होगा तो उसकी भरपाई की जुम्मेवारी उन पक्षकार की होगी जिनके पक्ष में भुमि आई है। पक्षकार भवष्यि में रास्ता खाळा का कोई विवाद नहीं करेगें भविष्य में किसी अन्य से रास्ता खाळा नहीं मागेंगे। अगर किसी अन्य रास्ता खाळा की जरूरत पड़ती है तो आपसी समझौते से उसे रास्ता, खाळा उपलब्ध करवाऐंगे। किसी अन्य से रास्ता, खाळा की मांग नहीं करेगे

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे। आदेशानुसार पर्चा डिकी जारी की जावे पत्रावली निर्णय शूमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

आज यह प्राथमिक पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से दिनांक 6.9.21 को जारी की गई।

मिलान किया

(डॉ. अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

प्रमाणित प्रतिलिपि

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.02.25 16:45:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner